कार्यालय जिला पंचायत, लखनऊ

पत्रांक 337 / जि0पं0 / 2013–2014 दिनांक 20 सितम्बर 2013

श्रीमती मीनाक्षी शुक्ला
ग्राम–नौबरस्ताकलां
विकास खण्ड– चिनहट
तहसील–सदर
जनपद– लखनऊ।

आपके प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न मानचित्र पर सम्यक विचारोपरान्त मानचित्र की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

ग्रामसभा नौबरस्ताकलां विकास खण्ड चिनहट जनपद लखनऊ के खसरा संख्या 511 में संशोधित प्रस्तावित अपार्टमेन्ट भवन नर्माण तथा प्लाटिंग कार्य हेतु प्रस्तुत मानचित्र के कुल कवर्ड एरिया 10873.49 वर्गमीटर पर हेतु मानचित्र की स्वीकृति निम्न प्रतिबन्धों सहित दी जाती है।

1–प्रस्तावित भवन निर्माण प्रारम्भ करते समय तथा निर्माणाधीन अवधि में कोई भी निर्माण सामग्री मार्ग पर एकत्र न की जाय।
2–जल–मल की निकासी मार्ग की ओर न की जाये।
3–मख्य मार्ग के मध्य से बिन्दु से निर्माण स्थल की प्रतिबन्धित दूरी के सम्बन्ध में रोड साइड लैण्ड कन्ट्रोल रूल्स 1965 के नियम–7 यथावत् लागू रहेंगें।
4–प्रतिबन्ध रहेगा कि संशोधित मानचित्र के अनुसार भवन का निर्माण तथा प्लाटिंग कार्य पूर्व स्वीकृत कवर्ड एरियां 70929.41 वर्गमीटर के अतिरिक्त 10873.49 में ही निर्माण कराया जाये।
5– प्रतिबन्ध रहेगा कि प्रस्तुत शपथ पत्र के आधार पर मुख्य अग्नि शमन अधिकारी कार्यालय से 06 माह के अन्दर अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।
6–प्रतिबन्ध रहेगा कि कार्य पूर्ण होने के उपरान्त कार्य पूर्ण प्रमाण पत्र कार्यालय जिला पंचायत, लखनऊ से प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

बिना किसी पूर्व सूचना के नक्शें/भवन में किसी भी प्रकार का परिवर्धन/परिवर्तन नहीं किया जायेगा। यदि किसी भी प्रकार का परिवर्तन/परिवर्धन भवन/मानचित्र में प्रस्तावित है, तो जिला पंचायत लखनऊ से स्वीकार किये बिना परिवर्तन/परिवर्धन नही किया जायेगा। किसी भी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में जिला पंचायत, लखनऊ उत्तरदायी नहीं होगी।
अनुमोदित मानचित्र किसी भी दशा में स्वामित्व का अभिलेख नहीं माना जायेगा।

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, लखनऊ

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, लखनऊ

Scanned by CamScanner